न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

मु.नं. 23/15 निर्णय दिनांक 09.03.2021

1. कालूलाल पुत्र ग्यारसीलाल जाति धोबी निवासी सावनभादौ तहसील कनवास हाल निवास कन्सुवा कोटा।
2. मुन्ना पुत्र पांथूलाल जाति धोबी निवासी सावनभादौ तहसील कनवास।

–वादी–

बनाम

1. महावीर पुत्र चन्दालाल जाति धाकड निवासी सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित –

वादी की आरे से– एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया

प्रतिवादी 01 की ओर से एडवोकेट बद्रीलाल मेरोठा

निर्णय

वादीगण द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत कर निवेदन कि कि वादीगण व अन्य के सहखातेदारी में ग्राम सावनभादौ के खसरा नबंर 233 की 0.18 है0, व 2301 की 0.24 है0, हैक्टयर आराजी कुल 02 किता की 0.42 है0, आराजी एक ही चक के रूप में स्थित है।

यह कि प्रतिवादी की आराजी भी वादी के खाते की उक्त आराजी के लगवा है जिसका दुरूप्रयोग कर प्रतिवादी लगातार वादी को बेवजह परेशान करता है तथा वादी के कब्जे काश्त में बाधा पहुंचाता रहता है व वादीगण को शांतीपूर्वक काश्त करने में व्यवधान पैदा करता है। प्रतिवादी ने कई मर्तबा वादीगण के संयुक्त खाते की उपरोक्त आराजी पर कब्जा करने का प्रयास किया जस पर वादी ने 23.05.2011 को नायबतहसीदार से अपनी आराजी खसरा नबंर 2300 व 2301 कुल रकबा 0.42 है0, की पैमाईश कराने हेतु आदेश प्राप्त किया जिसकी पालना में 24.05.11 को भू.अभिलेख निरीक्षण कनवास व पटवारी पटवार हल्का सावनभादौ ने उक्त भूमि की मौके पर वादीगण व प्रतिवादी के समक्ष पैमाईश कर सीमाज्ञान करा दिया था, तदनुसार वादीगण ने अपनी आराजी में जुताई कर दी परन्तु प्रतिवादी ने वादीण को फसल नहीं बोने दी तथा लड़ाई झगड़ा किया जिससे वादी की कार्यवाही पर पुलिस थाना कनवास ने प्रतिवादगण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की, अब प्रतिवादी उक्त आराजी में वादी को फसल बुवाई में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

वादीगण ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्व इस की स्थाई निषेधाज्ञा पारीत की जावे कि वादीगण के संयुक्त खाते की आराजी ग्राम सावनभादौ की खसरा नबंर 2300 की 0.18 है0 व 2301 की 0.24 है0, कुल 02 किता की रकबा 0.42 है0, आराजी को वादीगण को शांतीपूर्वक कब्जे काश्त में प्रतिवादी किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत न करें, तथा वादीगण को आराजी शांतीपूर्वक काश्त करने दें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलवी जारी की गई, प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट बद्रीलाल मेरोठा ने वकालतनामा पेश किया , प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पास कोई कब्जे वाली कृषि भूमि नहीं है में प्रतिवादी अपने स्वयं की खाते वाली कृषि भूमि जिसका वर्तमान खसरा नबंर 2269 रकबा 0.2400 है0, खसरा नबंर 2270 रकबा 0.5500 है0 एव खसरा नबंर 2271 की रकबा 0.2600 है0, कुल किता 03 की रकबा 07 बीघा भूमि ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास कोटा में स्थित है, जिसका प्रतिवादी एकमात्र खातेदार चला आ रहा है। एवं प्रतिवादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है व उक्त भूमि का एक मात्र मालिक है। पूर्व में उपरोक्त जमीन के खातेदार प्रतिवादी के स्व0 पिता चन्दालाल पुत्र कन्हैयालाल थे, उन्होनें उपरोक्त कृषि भूमि को गेंदीलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 15.07.1973 को खरीद की थी, जिसका पुराना खसरा नबंर 945 एवं 1149 है तथा जिसका वर्तमान खसरा नबंर सेटलेन्ट के पश्चात खसरा नबंर 2269, खसरा नबंर 2270 खसरा नबंर 2271 है। प्रतिवादी के पिता चन्दालाल जी का स्वर्गवास लगभग 4–5 वर्ष पूर्व हो चुका है और उनके पश्चात उपरोक्त भूमि का प्रतिवादी एकमात्र मालिक है तथा वर्तमान में उपरोक्त भूमि प्रतिवादी के नाम ही रेवेन्यू में दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार से मैं प्रतिवादी अपनी खाते एवं स्वामित्व तथा कब्जे वाली भूमि पर अपना कृषि कार्य कर रहा हूं, लेकिन वादीगण मुझे शांतिपूर्ण ढंग से कृषि नहीं करने दे रहे हैं तथा न्यायालय की आढ में प्रतिवादी की भूमि को हडपना चाहते है और इस उद्देश्य से उन्होनें यह वाद पेश किया है। इसलिये वादीगण का वांद खारिज योग्य है।

जवाब प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की गई, साक्ष्य वादी ली गई, सक्ष्यवादी में शपथा–पत्र कालूलाल पी0डब्ल्यू01 पेश हुई, दस्तावेज प्रदर्श कराये गये, प्रतिवादी द्वारा वादी के गवाहन से कोई जिरह नंही की गई, साक्ष्यवादी बंद की गई। प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई, तथा प्रतिवादी के एडवोकेट द्वारा दिनांक 16.02.2021 को प्रतिवादी की पैरवी करने से इन्कार किया गया। तथा प्रतिवादी नबंर 01 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। बहस वादी दिनांक 09.03.21 को एक तरफा सुनी गई।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों से तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम सावनभादौ की खसरा नबंर 2300 की 0.18 है0, व खसरा नबंर 2301 की 0.24 है0, कुल 02 किता की 0.42 है0, आराजी वादीगण व अन्य इनके परिवार जन के स्वयं के [illegible] उक्त भूमि के सहखातेदार होकर सभी सहखातेदारन की तरफ से उक्त भूमि [illegible] काश्त हैं। प्रतिवादीगण के खाते की भूमि वादीगण के समीप है, [illegible] की खसरा नबंर 2269 की रकबा 0.24 है0, खसरा नबंर 2270 की 0.55 है0, 2271 की 0.26 है0, के प्रतिवादी अपनी आराजी पर काबिज है। वादी के अपने बयानों से वादग्रस्त आराजी वादीगण के खाते में होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

व काबिज काश्त होना प्रमाणित है। परन्तु प्रतिवादी उसको कब्जे से बेदखल करने पर आमदा है तथा दोराने वाद प्रतिवादी ने वादीगण के खाते की भूमि खसरा नबंर 2300 व 2301 से वादीगण को बेदखल कर दिया है। जिसकी पुष्टि वादी अपने बयानों में करता है, वादी के बयानों का प्रतिवादी द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। सम्पूर्ण पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया वादीगण के खाते की आराजी ग्राम सावनभादौ की खसरा नबंर 2300 की रकबा 0.18 है0, व खसरा नबंर 2301 की 0.24 है0, कुल 02 किता की 0.42 है0, आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादीगण अनुसूचित जाति के हैं, प्रतिवादी स्वर्ण जाति का है, जिसको वादीगण के खाते की भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी का दावा स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि वादीगण के खाते की आराजी ग्राम सावनभादौ की खसरा नबंर 2300 की 0.18 है0, व खसरा नबंर 2301 की 0.24 है0, कुल 02 किता आराजी में वादीगण को काश्त करने में प्रतिवादी स्वयं व उसके ऐजेण्ड किसी प्रकार की मजाखलत व मजाहमत न करें वादीगण को आराजी शांतीपूर्वक काश्त करने दें, यदि वादीगण के खाते की आराजी ग्राम सावनभादौ की खसरा नबंर 2300 की 0.18 है0, व खसरा नबंर 2301 की 0.24 है0, कुल 02 किता की 0.42 है0, आराजी या उसके किसी भी भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जावे तो उसको बेदखल किया जाकर वादीगण को ग्राम सावनभादौ की खसरा नबंर 2300 व 2301 कुल 02 किता की 0.42 है0, आराजी वादीगण को नापकर कब्जा सम्भलाया जावे। तहसीलदार कनवास को वादीगण के खाते की उपरोक्त भूमि नापकर वादीगण को सम्भलाने हेतु लिखा जावे।

उपरोक्त निर्णयानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:48 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

न्यायालय बइजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

मु.नं. 23/15 निर्णय दिनांक 09.03.2021

1. कालूलाल पुत्र ग्यारसीलाल जाति धोबी निवासी सावनभादौ तहसील कनवास हाल निवास कन्सुवा कोटा।
2. मुन्ना पुत्र पांथूलाल जाति धोबी निवासी सावनभादौ तहसील कनवास।

–वादी–

बनाम

1. महावीर पुत्र चन्दालाल जाति धाकड निवासी सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा।

– प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित –

वादी की आरे से– एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया

प्रतिवादी 01 की ओर से एडवोकेट बद्रीलाल मेरोठा

मुकदमा नं. **23/15 सन्** 2015 तारीख फैसला **09.03.2021 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया वादी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी 01 की ओर से एडवोकेट श्री बद्रीलाल मेरोठा** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि वादीगण के खाते की आराजी ग्राम सावनभादौ की खसरा नबंर 2300 की 0.18 है0, व खसरा नबंर 2301 की 0.24 है0, कुल 02 किता आराजी में वादीगण को काश्त करने में प्रतिवादी स्वयं व उसके ऐजेण्ड किसी प्रकार की मजाखलत व मजाहमत न करें वादीगण को आराजी शांतीपूर्वक काश्त करने दें, यदि वादीगण के खाते की आराजी ग्राम सावनभादौ की खसरा नबंर 2300 की 0.18 है0, व खसरा नबंर 2301 की 0.24 है0, कुल 02 किता की 0.42 है0, आराजी या उसके किसी भी भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जावे तो उसको बेदखल किया जाकर वादीगण को ग्राम सावनभादौ की खसरा नबंर 2300 व 2301 कुल 02 किता की 0.42 है0, आराजी वादीगण को नापकर कब्जा सम्भलाया जावे। तहसीलदार कनवास को वादीगण के खाते की उपरोक्त भूमि नापकर वादीगण को सम्भलाने हेतु लिखा जावे।

तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **09.03 .2021** माह **मार्च** को जारी की गई।

मोहर ....

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज०)

राजेश डागा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:48 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	---NIL---		स्टाम्प वकालतनामा	---NIL---	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत					
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुकमनामा			बाबत इजराय हुकमनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज०)